प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक 29.08.2021

कल दिनांक 28.08.2021 को थाना क्षेत्र रानीगंज के गाजी की बाग(ग्राम थरिया) में मछली खरीदने की बात को लेकर हुए विवाद में युवक को गोली मारकर घायल करने की घटना से संबंधित 03 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 01 अदद लाइसेंसी पिस्टल 32 बोर व 04 अदद खोखा कारतूस बरामद– (थाना रानीगंज)

घटना का संक्षिप्त विवरण–

कल दिनांक 28.08.2021 को थाना क्षेत्र रानीगंज के ग्राम थरिया में इसरार अहमद व वसीम अहमद पुत्रगण जाहिद अली से मछली खरीदने की बात को लेकर 03 युवकों सर्वेश सिंह, सचिन हरिजन व सुरेश हरिजन द्वारा विवाद/मारपीट की गई एवं सर्वेश सिंह उपरोक्त द्वारा लाइसेंसी पिस्टल से वसीम अहमद के पैर में गोली मार दी गई। मौके पर मौजूद भीड़ द्वारा उक्त तीनों युवकों को वहीं पर घेर लिया गया। घटना की सूचना पर थाना रानीगंज पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल वसीम अहमद उपरोक्त को ईलाज हेतु भेजवाया गया एवं उक्त तीनों युवकों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी पिस्टल व मौके से 04 अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया।

घटना के संबंध में वादी की तहरीर पर थाना रानीगंज में मु0अ0सं0 462/2021 धारा 323, 504, 506, 307 भादंवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1. सर्वेश सिंह पुत्र रवीन्द्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम भदौसी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़
2. सचिन हरिजन पुत्र ओम प्रकाश निवासी ग्राम भदौसी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़
3. सुरेश हरिजन पुत्र जवाहर लाल निवासी ग्राम केशवपुर आमापुर बेर्रा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ प्रतापगढ़

बरामदगीः–

01. 01 अदद पिस्टल 32 बोर, लाइसेंसी (घटना में प्रयुक्त)
02. 04 अदद खोखा कारतूस 32 बोर (घटना में प्रयुक्त)
03. एक अदद मोटर साइकिल बुलेट नं0 यूपी 72 ए 0303 (घटना में प्रयुक्त)

पुलिस टीम उ0नि0 श्री जय प्रकाश यादव, उ0नि0 श्री लालबहादुर पाल मय हमराह थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़

01 अदद कंटेनर सहित 09 राशि गोवंश पशु बरामद (थाना अंतू)

जनपद के थाना अंतू के उ0नि0 कमलेश पाण्डेय व उ0नि0 एहसानुल हक मय हमराह को दिनांक 28/29.08.2021 की रात्रि को देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास से यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के छतरपुर पशु चिकित्सालय के सामने 500 मीटर भीतर बगिया में कुछ व्यक्ति गोवंशो को वध हेतु ले जाने के लिए एक कंटेनर में लाद रहे हैं। इस सूचना पर उक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबिर

के बताए स्थान पर दबिश दी गई तो पुलिस टीम को दूर से ही देखकर वहां मौजूद व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकले। पुलिस द्वारा मौके से 01 अदद कंटेनर ट्रक व 09 राशि गोवंश बरामद किये गये। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 355/2021 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। मौके से फ़रार अभियुक्तों के चिह्निकरण/गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

पुलिस टीम– उ0नि0 कमलेश पाण्डेय व उ0नि0 एहसानुल हक मय हमराह थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।